रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03032025-261426
CG-DL-W-03032025-261426

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 05] नई दिल्ली, फरवरी 23—मार्च 01, 2025, शनिवार/ फाल्गुन 4—फाल्गुन 10, 1946
No. 05] NEW DELHI, FEBRUARY 23— MARCH 01, 2025, SATURDAY/ PHALGUNA 4– PHALGUNA 10, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 19.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

			department, and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's degree with commerce or Economics or Finance as a subject from a recognised university or institute; (ii) three years experience in Accounts and Finance in a department of Central Government or State Government or Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations or university or recognised research institution; and (iii) Experience of working on Public Financial Management System. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age- limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A.12018/12/2022-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 23.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पदों), भर्ती नियम, 1981, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पदों), भर्ती नियम, 2017, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पदों), भर्ती नियम, 2019, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 2019 तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 2021 जहाँ तक उनका संबंध (समूह 'ग' पदों) अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों, नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **आवेदन.-** ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रवर श्रेणी लिपिक	221* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। (i) सफ़दरजंग अस्पताल – 81 पद (ii) डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल – 77 पद (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल – 40 पद	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रुपए)।	अचयन	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो; (ii) कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा मानक: (क) अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या (ख) हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति अनुमत समय: दस मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पांच

	कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल				वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	कुंजी दबाव के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट, क्रमशः 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा/9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा के समतुल्य है।) **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
	(iv) कलावती सरन बाल अस्पताल — 18 पद					
	(v) ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ — 05 पद					

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा की	60 % प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) पर	**प्रोन्नति:** दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपए) में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा प्रशासन के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण आयोजित करना।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक (प्रशासन एवं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

	अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	स्थानांतरण द्वारा। 40% प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती।	**टिप्पण:** जहां उन कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु कि वे ऐसी या अर्हता सेवा के आधे से अधिक या दो साल से अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा से कम न हों। जो भी कम हो और जिन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति**: (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक हैं: या (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये) में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस पद पर आठ वर्ष की सेवा की हो: और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो:- 1. जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त सरकारी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। 2. जिनके पास प्रशासन, स्थापना और लेखा संबंधी मामलों में दो वर्षों का अनुभव हो। **टिप्पण** :1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं	सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य। विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	

			अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 अवर श्रेणी लिपिक	256* (2024) * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। (i) सफ़दरजंग अस्पताल — 105 पद (ii) डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल — 44 पद (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल — 81 पद (iv) कलावती सरन बाल अस्पताल — 18 पद (v) ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ — 08 पद	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रूपये)।	अचयन।	18 से 27 वर्ष के बीच आयु । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा मानक: (क) अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या (ख) हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति अनुमत समय: दस मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पांच कुंजी दबाव के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट, क्रमशः 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा/9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा के समतुल्य है।) **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या

						सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
आयु-नहीं अर्हता-हाँ, स्तंभ सं. (11) में उपदर्शित सीमा तक।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का एक आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण होगा	(I) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (II) नई दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में 10% रिक्तियां विभागीय	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ii) नई दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में दस प्रतिशत रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 01 (18000-56900 रुपये) में समूह 'ग' कर्मचारियों में से भरी जाएंगी और जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होंगे। एक मान्यता प्राप्त बोर्ड और विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर उस स्तर पर तीन वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है। **टिप्पण 1:** परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा सामान्य अभियार्थियों के मामले में पैंतालीस	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

		अर्हक परीक्षा के आधार पर (iii) वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर प्रोन्नति द्वारा पांच प्रतिशत।	वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में पचास वर्ष तक है। **टिप्पणी 2:-** यदि खंड (ii) के तहत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो ऐसी अतिरिक्त संख्या में कर्मचारियों को बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पहले अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारी बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले परीक्षा पर विचार किया जाता है। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां समूह 'ग' के कर्मचारियों से वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपये) के पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। **टिप्पणी :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु कि वे ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा से कम न हों। जो भी कम हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।	-सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/01/2020-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डे, अवर सचिव

New Delhi, the 24th February, 2025

G.S.R. 23.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Lady Hardings Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules 1981, the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Lower Division Clerk and Upper Division Clerk (Group 'C' Posts) the Recruitment Rules, 2017, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Lower Division Clerk and Upper Division Clerk, Recruitment Rules, 2019, the Ministry of Health and Family Welfare, Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi, Upper Division Clerk (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2019, the Ministry of Health and Family Welfare, Ruler Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi, Lower Division Clerk (Group-C Post) Recruitment Rules, 2019 and the Ministry of Health and Family Welfare, the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' Post), the Recruitment Rules, 2021, in so far as they relate to the Group 'C' posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the Central Government Hospitals in New Delhi, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, in the Central Government Hospitals in New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called Ministry of Health and Family Welfare,Central Government Hospitals in New Delhi, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.–** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.–** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Upper Division Clerk.	221 *(2025) *Subject to variation dependent on workload. (i). Safdarjung Hospital — 81 posts (ii) Dr. Ram Manohar — 77	General Central Service, Group 'C',Non-Gazetted, Ministerial.	Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non- selection.

		Lohia Hospital	posts			
	(iii)	Lady Hardinge Medical College and Smt. Scheta Kriplani Hospital	40 posts			
	(iv).	Kalawati Saran Children Hospital and	18 posts			
	(v)	Rural Health Training Centre, Najafgarh	05 posts			

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) Skill test norms on computer: (a) a typing speed of 35 words per minute in English; or (b) a typing speed of 30 words per minute in Hindi. Time allowed: Ten Minutes. (Thirty Five word per minutes and thirty word per minute correspond to 10500 Key depressions per hour /9000 key depressions per hour on an average of five key depressions for each word). **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or	Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

	Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(10)	**(11)**
(i) Sixty per-cent. by promotion, failing which by deputation (including short term contract); (ii) Forty per-cent. by deputation (including short term contract), failing which by direct recruitment.	Promotion: Lower Division Clerks of all the Central Government Hospitals in New Delhi in level -2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years' regular service in the grade and having successfully conducted two to four weeks training in the field of administration. Note**:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officer of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years regular service rendered after appointment to the post of Lower Division Clerk on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900- 63200) in the parent cadre of department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised university or recognized research institute. (ii) two years experience in administration, establishment and in accounts matters. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly,

	the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age- limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Chairperson; 2. Deputy Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Chairperson; 2. Deputy Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2. Lower Division Clerk.	256 (2025)* (Subject to variation dependent on workload) (i) Safdarjung Hospital — 105 posts (ii) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital — 44 posts (iii) Lady Hardinge Medical College and Smt. Scheta Kriplani Hospital — 81 posts (iv) Kalawati Saran Children Hospital — 18 posts (v) Rural Health Training Centre, Najafgarh — 08 posts	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix. (Rs. 19900-63200).	Non-selection.

(6)	**(7)**
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government Servants up to forty years in	(i) 12th class pass from a recognised Board or University. (ii) Skill test norms on computer: (a) a typing speed of 35 words per minute in English; or (b) a typing speed of 30 words per minute in Hindi. Time allowed: Ten Minutes.

accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(Thirty Five word per minutes and thirty word per minute correspond to 10500 Key depressions per hour /9000 Key depressions per hour on an average of five key depressions for each word). **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Age -No. Qualification - Yes, to the extent indicated under column No. (11)	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) eighty five percent by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) ten percent by promotion on the basis of Departmental qualifying examination; and (iii) five percent by promotion on the basis of seniority-cum –fitness.

(11)	(12)	(13)
(i) Eighty-five percent by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) Ten percent of the vacancies in all Central Government Hospitals in New Delhi shall be filled from amongst the Group 'C' staff in the level - 01 of the pay matrix (Rs. 18000- 56900) and who possess 12th class pass from a recognised Board and have rendered three years regular service in the level, on the basis of departmental qualifying examination. **Note 1:** The maximum age limit for eligibility for examination is forty five years in case of general candidates and upto fifty years in case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled tribes. **Note 2:-** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the exam, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) five percent of the vacancies shall be filled by promotion on the basis of seniority-cum –fitness from Group C employees who have completed three years regular service in the posts in level-1 of the pay matrix (Rs. 18000-56900). **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Chairperson; 2. Deputy Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Chairperson; 2. Deputy Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director (Concerned), Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. A-11018/01/2020-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण में सर्वेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण, सर्वेक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. आरंभिक गठन. - सर्वेक्षक के पदों के साथ विलयन से पूर्व सर्वेक्षक के पद और सर्वेक्षण सहायक के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सर्वेक्षक के पद पर नियुक्त समझा जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सर्वेक्षक।	1020* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख',	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-	चयन।